दिल्ली में खाने की चीजों में मिलावट करने के मामले

*३९४. श्री राम सहाय : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष अब तक दिल्ली में खाने की चीजों में मिलावट करने के कितने मामले पकड़े गये और इस संबंध में कितने व्यक्तियों को सजा दी गई ; और

(ख) खाने की चीजों में मिलावट को कारगर रूप में रोकने के लिये जांच पड़ताल करने के क्या कोई विशेष प्रबन्ध किये गये हैं ?

HCASBS OF FOOD ADULTERATION IN DELHI

*394. SHRI RAM SAHAI: Will the Minister of HEALTH be pleased to state:

(a) how many cases of food adulteration have so far been detected in Delhi during this year and how many persons were punished in this connection; and

(b) whether any special checking arrangements have been made to check food adulteration effectively?]

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० डी० एस० राजू) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जनवरी से जून, १९६३ तक दिल्ली में खाने की चीजों में मिलावट के जितने मामले पकड़े गये तथा जितने दोषी प्रमाणित किये गये उनकी संख्या इस प्रकार है :—

क्षेत्र	मिलावट के नमूनों की संख्या	दोष-सिद्धि की संख्या
दिल्ली नगर निगम .	७३०	२२
नई दिल्ली नगरपालिका	११९	२४
छावनी बोर्ड, दिल्ली .	८	३

(ख) दिल्ली में खाने की चीजों में मिलावट करने को सक्रियता से रोकने के उद्देश्य से दिल्ली नगर निगम ने पूर्णकालिक खाद्य निरीक्षकों की संख्या ८ से २१ कर दी है। इन खाद्य निरीक्षकों को क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में ४ मोबाइल स्क्वेडों में संगठित किया गया है, ताकि मिलावट करने वालों को भली प्रकार रोकना सम्भव हो सके। इन एककों को मोटर-गाड़ियों तथा नमूने लेने के उपकरण दिये गये हैं।

नई दिल्ली नगरपालिका में ११ खाद्य निरीक्षक काम कर रहे हैं, जो नियमित रूप से नमूने लेते रहते हैं।

छावनी क्षेत्र में भी खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को उत्साहपूर्वक लागू किया जा रहा है।

f[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH (DH. D. S. RAJU) : (a) and (b). A statement giving the required information is laid on the Table of the Sabha.

STATEMHUT

(a) The number of cases of food adulteration detected and the number of convictions in Delhi during the

period from January to June, 1963 is as follows:—

Area	No. of samples found adulterated	No. of convictions
Delhi Municipal Corporation .	730	22
New Delhi Municipal Committee . .	119	24
Cantonment Board, Delhi . .	8	3

(b) With a view to checking effectively the adulteration of food stuffs in Delhi, the number of whole-time Food Inspectors has been raised by the Delhi Municipal Corporation from 8 to 21. The Food Inspectors have been organised in 4 mobile squads under the supervision of Zonal Health Officers so that a proper check on adulterators may be possible. These units have been equipped with motor vehicles and sampling out-fit.

There are 11 Food Inspectors working in the New Delhi Municipal Com-mitte area who take samples regularly.

In the Cantonment area also, the Prevention of Food Adulteration Act is being enforced vigorously.]

श्री राम सहाय : क्या मैं यह जान सकूंगा कि जब से इन्सपैक्टरों की संख्या ज्यादा बढ़ाई गई है, तब से ये नमूने पकड़ने में कोई ज्यादा उन्नति नहीं हुई है ?

DR. D. S. RAJU: The figures are here. From January, 1963 to the end of June, 1963, 3208 samples have been analysed. The number of samples found adulterated is 730. Percentage of samples adulterated is 22 • 7.

श्री राम सहाय : क्या मैं यह जान सकूंगा कि मिलावट के नमूनों की संख्या जो आपने स्टेटमेंट में बतलाई है, वह ८४७ है और दोषसिद्धि की संख्या केवल ४६ है, तो इसका क्या कारण है कि इतने कम लोगों को सजा हुई है ?

डा० सुशीला नायर : जैसा अभी बतलाया गया कि ३२०८ सैम्पुल देखे गए हैं और ७३० सैम्पुलों में अडल्ट्रेशन पाया गया और इनमें से कुछ को फाइन हुआ और इस फाइन की रकम २६७० रुपया थी, कुछ को जेलखाना हुआ, २२ लोगों को सजा हुई और कुछ को रिगोरस इम्प्रिजनमेंट हुआ ।

श्री राम सहाय : मेरा निवेदन यह है कि दिल्ली नगर निगम में मिलावट की संख्या ७३० है, नई दिल्ली नगरपालिका की ११६ है और छावनी बोर्ड दिल्ली की ८ है और इस तरह से कुल मिलावट के नमनों की संख्या ८५७ हुई । इन ८५७ मिलावट नमनों की संख्या में से दोषसिद्धि की संख्या दिल्ली नगर निगम की २२ है, नई दिल्ली नगरपालिका की २४ है और छावनी बोर्ड, दिल्ली की ३ है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जब मिलावट की संख्या ८५७ है तो दोषसिद्धि की संख्या ४६ ही क्यों है, क्या इस चीज पर कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है ?

डा० सुशीला नायर : मैं इसका क्या जवाब दे सकती हूं । मुझे इस बारे में कुछ मालम नहीं है ।

श्री ए० बी० बाजपेयी : क्या यह सही है कि मिलावट को रोकने के लिए इस समय जो कानून है, उसमें संशोधन करके सरकार अधिक कठोर दण्ड की व्यवस्था करने जा रही है और यदि हां, तो क्या शासन यह समझता है कि केवल दण्ड को कठोर बना देने से ही मिलावट रोकी जा सकती है ?

डा० सुशीला नायर : जी हां, यह सही है कि दण्ड को कठोर बनाने की योजना इस सदन के सामने शीघ्र आने वाली है। खाली कठोर दण्ड की व्यवस्था करने से समस्या का हल हो जायेगा, ऐसा हम नहीं समझते हैं; क्योंकि उस कठोर दण्ड को सही प्रकार से अमल में लाने की आवश्यकता होगी। लेकिन कड़े कानून भी आवश्यक हैं और उसके बिना काम नहीं चलता है। इसलिये जो काम हम यहां कर सकते हैं, कर रहे हैं और इसका इम्पलीमेंटेशन लोकल बाडीज द्वारा किया जायेगा और उनसे हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं।

SHRIMATI AMMANNA RAJA: May I know, Sir, whether cases of stale food being supplied in the Delhi hotels have been brought to the notice of the Government and whether any action has been taken by the Government?

DR. D. S. RAJU: TO the extent it affects action is being taken.

شری فریدالحق انصاری : آنریبل منسٹر صاحب نے ابھی بتایا کہ وہ اس کے متعلق کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکتے کہ ٨٥٧ ملاوٹ کے جو کیسیز ھیں ان میں سے صرف ۴۹ پر ھی کیوں مقدمہ چلایا گیا تو کیا میں یہ سمجھوں کہ زیادہ لوگوں کو سزا اس وجہ سے نہیں دی جا سکی یا ان پر مقدمے نہیں چلائے جا سکے کیوں کہ سرکاری ادھیکاری گواھوں کو جمع نہیں کر سکے -

†[श्री फरीदुल हक अन्सारी : आनरेबल मिनिस्टर साहब ने अभी बताया कि वह इसके मुतल्लिक कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके कि ८५७ मिलावट के जो केसेस हैं, उनमें से सिर्फ ४६ पर ही क्यों मुकदमा चलाया गया, तो क्या मैं यह समझूं कि ज्यादा लोगों को सजा इस वजह से नहीं दी जा सकी या उन पर मुकदमे नहीं चलाये जा सके; क्योंकि सरकारी अधिकारी गवाहों को जमा नहीं कर सके।]

डा० सुशीला नायर : यह तो उनका अन्दाज है। जैसा मैंने अभी कहा कि अडल्ट्रेशन के ८५७ केस पकड़े गये और जिनमें से ४६ केसेज में लोगों को सजा हुई। किस वजह से बाकी कैसे फेल हुए या उनमें से कितने अभी भी अदालत के ज़ेरे गौर हैं, मैं इसके बारे में इस वक्त कुछ नहीं बतला सकती।

SHRI N. SRI RAMA REDDY: Oat of these 730 cases of adulteration in food, I would like to know if the analysis has revealed any harmful adulterants used or whether most of them were only harmless adulterants?

DR. SUSHILA NAYAR: There no harmless adulterants. All adulterants are bad.

श्री देवकीनन्दन नारायण : क्या मंत्राणी महोदया यह बतलाने की कृपा करेंगी कि यह मिलावट का उद्योग धंधा करने वालों का कोई गिरोह दिल्ली में है?

डा० सुशीला नायर : हो सकता है कि कोई गिरोह भी हो। मैं तो इतना जानती हूं कि काफी लोग हैं जो इस बुरे काम को करते हैं।

*395. [*The questioner (Shri V. M. Chordia) was absent. For Answer,* vide col. 2760 infra.]

*396. [*The questioner (Shri R. S. Khandekar) was absent. For answer,* vide cols. 2760-61 infra.]